

F. No./NRC/NCTE/NRCAPP-3080/2015 / 10 12 67

Date:

20 MAY 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. AND WHEREAS, the institution, Late Shri Bhagwan Singh Mahavidhyalay, Plot/Khasara No. 54, Plot No. -54, Street Number-54, Vill- Ajnari, Post Office- Orai, Teh/Taluk- Orai, Town/City- Orai, Dist- Jalaun, State-UP, Pin-285001. has by affidavit consented to come under New Regulations and has sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.

3. AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each, subject to the institution fulfilling the following conditions, namely:-

- (i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Northern Regional Committee, with required documents by October 31, 2015.
- (ii) The institution for additional unit will be required to submit the required documents such as, land documents, non-encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents, if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.
- (iii) The Regional Committee shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these conditions by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institution shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.
- (iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith documents, if any, together with the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

4. Now therefore, in light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to Late Shri Bhagwan Singh Mahavidhyalay, Plot/Khasara No. 54, Plot No. -54, Street Number-54, Vill- Ajnari, Post Office- Orai, Teh/Taluk- Orai, Town/City- Orai, Dist- Jalaun, State-UP, Pin-285001 for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 students, for two basic units of 50 students each, from the academic session 2015-2016 subject to fulfilment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The



affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

7. The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

- (a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.
- (b) Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- (c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter.
- (d) Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.
- (e) Fee charged from students.
- (f) Available infrastructural facilities.
- (g) Facilities added during the last quarter.
- (h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter.
- (i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- (j) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- (k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution contravenes any of the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order,

(Dr. S.K. Chandra) 1571  
Regional Director

The Manager to Govt. of India,  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1. The Principal, Late Shri Bhagwan Singh Mahavidhyalay, Plot/Khasara No. 54, Plot No. -54, Street Number-54, Vill- Ajnari, Post Office- Orai, Teh/Taluk- Orai, Town/City- Orai, Dist- Jalaun, State-UP, Pin-285001.
2. The Secretary/Chairman, Bhagwan Singh Educational Trust, Plot No-255, Street/ Road- 255, Vill- Tilak Nagar, Post Office- Konch, Teh/Taluk- Konch, Town/City- Jalaun, Dist- Jalaun, State-UP, Pin-285205.
3. The Principal Secretary, (Higher Education) Govt. of Uttar Pradesh, UP Civil Secretariat, Annexe Bhawan 5<sup>th</sup> Floor, Room No. 501, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
4. The Registrar, Bundel Khand University, Jhansi, Uttar Pradesh.
5. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur, Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
7. Office order file/ Institution file.

Regional Director





## बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2015/1234

दिनांक :- 23/11/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,  
भगवान सिंह महाविद्यालय,  
अजनारी, जालौन।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित भगवान सिंह महाविद्यालय, अजनारी, जालौन को शिक्षा संकाय में बी0एड0 विषय/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2016 से सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान करने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 सम्ब0-1146/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के अधीन भगवान सिंह महाविद्यालय, अजनारी, जालौन व स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता व पूर्वानुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 07.11.2015 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति व बैठक में निरीक्षण मण्डल द्वारा की गई संस्तुति का परीक्षण किया गया।

परीक्षणोपरान्त सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर तथा कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा माननीय कुलपति जी ने उक्त महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम/विषय में दिनांक 01.07.2016 से सशर्त सम्बद्धता की सहर्ष पूर्वानुमति निम्नलिखित शर्तों व अधीन प्रदान करने की कृपा की है।

1. उक्त महाविद्यालय कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी को प्रतिवर्ष अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय अद्यतन तिथि का अग्निशमन प्रमाण पत्र, एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र तथा एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण, अनुबन्ध पत्र, बैंक खाता सं0 एवं नियुक्ति पत्र का विवरण ऑनलाइन करते हुए समस्त प्रपत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
3. उक्त महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार वार्षिक परीक्षा के पूर्व माह दिसम्बर, 2016 तक सभी कक्षाओं में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष द्वारा इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कुलसचिव कार्यालय को प्राप्त करायेगा।


4. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। रिट याचिका स0 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।
5. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अर्न्तगत महाविद्यालय की सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

  
(पारस माथ प्रसाद)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
3. समाजकल्याण अधिकारी, जालौन।
4. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
5. डा0 दीपक तोमर, ई0 गवर्नेन्स अधिकारी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. कुलसचिव के आशुलिपिक।
8. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

  
कुलसचिव



प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेगर,  
अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

✓ सेवा में,

कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झांसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2014

विषय:-बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2014-15 में सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बु0वि0/सम्ब0/2014-15/910-11, दिनांक 19.3.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन भगवान सिंह महाविद्यालय, अजनारी, उरई, जालौन को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रबंध समिति अनुमोदित न होने विभागाध्यक्ष एवं 1 प्रवक्ताओं के अनुबंध पत्र वांछित होने, शेष तीन प्रवक्ताओं का अनुमोदन सत्र प्रारम्भ के पूर्व कराये जाने एवं उनके नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या एवं अनुबंध पत्र वांछित होने तथा अग्निशमन अधिकारी का अद्यतन प्रमाण पत्र न होने के दृष्टिगत दिनांक 01.7.2014 से एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा- प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण-पत्र सशम स्तर से निर्गत न होने की कर्मा का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
- (3) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने

वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।

- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही निग्रमानुसार की जायेगी।
- (5) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भवदीय,

( सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर )  
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-134 (1)/सत्तर-2-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्तिपथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (परीक्षा संचालक)
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
- (5) सचिव/प्रबंधक, भगवान सिंह महाविद्यालय, अजनाश, उरई, जालौन।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनीता सिंह), उ0प्र0शासन।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर )  
अनु सचिव।



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2014/ 1583

दिनांक :- 09/5/2014

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंधक भगवान सिंह महाविद्यालय, अजनाश, उरई जालौन।
2. सहायक कल्याण अधिकारी जालौन स्थान उरई।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. सहायक कुलसचिव(परीक्षा/गो0)।
5. श्री दीपक तोमर ई0 गवर्नन्स अधिकारी।
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
7. कुलसचिव के आशुलिपिक।
8. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

उपकुलसचिव